बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

तरूण कुमार बिस्वान और अन्य

जुलाई 30, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे जे.]

श्रम कानूनः अस्थायी आधार पर लगे बडली श्रमिकों द्वारा नियमित करने का दावा-12 महीनों के ब्लॉक वर्ष में 240 बडली कार्य दिवसों के पूरा होने के अधीन स्थायी रिक्तियों के खिलाफ उनके अवशोषण/तैनाती की योजना-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 240 दिनों के मानदंड में ढील दी यदि कमी मामूली हो-डिवीजन बेंच ने नियोक्ता को इस आधार पर आगे बढ़ने का आदेश दिया कि प्रत्येक कर्मचारी ने 240 दिन पूरे किए-अपील पर, अवधारितः कर्मचारी को यह स्थापित करना है कि उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था-उच्च न्यायालय ने श्रमिकों द्वारा स्थापित किए गए तथ्यात्मक पहलू के बिना यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उनमें से प्रत्येक ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था-साथ ही कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 240 दिनों का काम पूरा नहीं किया-योजना के तहत पात्रता होने के कारण, उच्च

न्यायालय का आदेश संवहनीय नहीं है और इस प्रकार, अपास्त कर दिया गया है।

अपीलकर्ता-बैंक ने छुट्टी रिक्तियों के खिलाफ अस्थायी आधार पर बडली सिपाहियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार किया और नियमित रिक्तियां होने पर उन्हें अवशोषित/तैनात किया। अवशोषण/तैनाती के लिए योजना तैयार की गई थी जो 12 महीने के ब्लॉक वर्ष या एक कैलेंडर वर्ष में 240 बडली कार्य दिवसों की सेवा के पूरा होने के अधीन थी। अवशोषण/तैनाती पर बडली सिपाही अनुमोदित पैनलों पर बने रहेंगे और उन्हें आवश्यकता के आधार पर अवकाश रिक्ति पर तैनात किया जाएगा और भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थायी रिक्तियों में अवशोषित/तैनात किया जाएगा।

उत्तरदाता-बडली श्रमिकों को अस्थायी आधार पर अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में लगाया गया था। बैंक ने उन्हें पश्चिम बंगाल में गैर-सी. सी. ए. में लगने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में सेवा को नियमित करने के लिए रिट याचिका दायर की कि उन्होंने 12 महीने के ब्लॉक में 240 दिनों से अधिक समय तक सेवा की है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया

कि रिट याचिकाकर्ताओं का उपयोग बडली कार्यकर्ताओं के रूप में किया जा रहा था और एक ब्लॉक वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं करने के कारण उन्हें अवशोषित तैनात नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकांश रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्ष में या 12 कैलेंडर महीनों के एक ब्लॉक में 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया और निर्देश दिया कि यदि 240 दिन पूरे होने में थोडे ही दिन शेष है तो दिनों में ढील दी जाए। अपीलार्थी-बैंक ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि किसी विशेष वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं करने वाले बडली कार्यकर्ता का अवशोषण/तैनाती का एकल न्यायाधीश निर्देश नहीं दे सकता था। तर्क दिया कि 240 दिनों की गणना के उद्देश्य से रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को बाहर रखा गया था। हालांकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश का यह निर्देश देना उचित नहीं था कि जिन्होंने 210 दिन के लिए काम किया था उन्हें अवशोषण/तैनाती के लिए विचार में लिया जा सकता है, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ताओं को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता ने 12 कैलेंडर महीनों के ब्लॉक में 240 दिन पूरे कर लिए हैं, और गणना करते समय रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को अपवर्जित करने का कोई आधार नहीं है। इसीलिए वर्तमान अपीलें पेश हुई।

अपीलार्थी-बैंक ने तर्क दिया कि अनुबंध पत्र में यह निर्धारित किया गया है कि नियोजन केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए था और इसकी समाप्ति पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा; सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन में उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने उन्हें 12 कैलेंडर महीनों के ब्लॉक में 240 दिनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं दी; रिट याचिका में भी उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने स्थायी रिक्तियों के खिलाफ अपनी तैनाती/अवशोषण के लिए योजना के तहत एक कैलेंडर वर्ष में आवश्यक 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की; बैंक ने रिट याचिकाकर्ताओं से पश्चिम बंगाल में गैर-सी. सी. ए. क्षेत्रों में लगने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा था, लेकिन उत्तरदाता अपने विकल्प का उपयोग करने में विफल रहे और कभी भी इसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की; उक्त विकल्प के प्रयोग का मतलब बैंक द्वारा नियुक्ति के लिए कोई प्रतिबद्धता या आश्वासन नहीं था; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2000 के कार्यान्वयन के बाद भी बैंक में अधिशेष कर्मचारी थे; बैंक में उप-कर्मचारियों की कोई स्थायी रिक्ति नहीं थी; और बडली कार्यकर्ता को कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी गई थी क्योंकि वह केवल 6 दिनों के लिए काम करता था, यह केवल तभी दी जा सकती थी जब बडली सिपाही की

नियुक्ति 6 दिनों से अधिक के लिए होती तभी 6 दिनों के काम के बाद साप्ताहिक छुट्टी दी जाती।

उत्तरदाता-कर्मचारी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्ष दिया था कि रिट याचिकाकर्ताओं ने 240 दिनों का काम पूरा कर लिया था; और अमेरिकन एक्सप्रेस के मामले में इस विचार को देखते हुए कि रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों की भी गणना की जानी है, प्रत्येक रिट याचिकाकर्ताओं ने 240 दिन पूरे कर लिए थे।

अपीलों को मंजूर करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1. यह स्थापित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी पर है कि उसने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया था। प्रत्यर्थियों द्वारा स्थापित किए गए तथ्यात्मक पहलू के बिना उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि उनमें से प्रत्येक ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। रिक्तियों को नहीं भरने के निर्णय के प्रभाव को भी विचार में नहीं लिया गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने 240 दिनों का काम पूरा नहीं किया। उनका आधार यह था कि प्रबंधन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। योजना बडली सेवा में 240 दिनों के काम के लिए कहती है। बडली दिवसों की योजना वास्तविक कार्य दिवसों को दर्शाती है। [पैरा 11] [632-एफ,जी,633-ए]

अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन का प्रबंधन ए. आई. आर. (1986) एस. सी. 458 को विभेदित किया गया।

राम प्रकाश मक्कर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1992] 4 एससीसी 727, को संदर्भित किया गया।

1.2. अस्थायी कर्मचारी और बडली कर्मचारी के बीच अंतर है। हस्तगत मामला निपटान और योजना के तहत पात्रता से संबंधित है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से असंवहनीय है और इसे अपास्त किया जाता है। जब उत्तरदाता एक वर्ष या 12 महीनों के ब्लॉक में 240 दिनों का काम पूरा कर ले, तो योजना की निरंतरता और पॉलिसी में परिवर्तन के अधीन उनके मामलों पर योजना की रोशनी में विचार किया जाएगा। [पैरा 12] [633-ए, बी]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी, (3) और अन्य, [2006] 4 एस. सी. सी. 1, संदर्भित किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील सं. 8036-8037/2004

कलकत्ता उच्च न्यायालय की डब्ल्यू. पी. सं. 1081/2000 से संबंधित ए.पी.ओ.टी. सं. 278/2002/जी. ए. नंबर 1686/2002 के मामले के विरूद्घ निर्णय और आदेश 04.04.2003 से।

एल. नागेश्वर राव, आकांक्षा, नेहा शर्मा और बीनू गुप्ता याचिकाकर्तागण के लिए।

जयदीप गुप्ता, पीयूष के. रॉय और जी. रामकृष्ण प्रसाद उत्तरदातागण के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. के द्वारा दिया गया

1. इन अपीलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गयी है जिसमे अपीलार्थी बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया गया है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

वर्ष 1986 में अवकाश रिक्तियों पर अस्थायी रूप से (कठोर रूप से "काम नहीं तो वेतन नहीं") लगाने एवं नियमित रिक्तियां उत्पन्न होने पर उन्हें बैंक में अवशोषित/तैनात करने के लिए अपीलार्थी-बैंक ने बडली सिपाहियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार किया था। बडली सिपाहियों जो केन्द्र वार अनुमोदित पेनल पर मौजूद थे एवं जिन्होंने 12

महिनों के ब्लॉक या एक केलेण्डर वर्ष में 240 बडली कार्य दिवसों की संख्या 01-02-1988 को पूरी कर ली, के नियोजन/अवशोषण के लिए योजना दिनांक 24-02-1988 को विरचित की गयी थी। योजना में यह निर्धारित किया गया था कि अवशोषण पर बडली सिपाहियों को अनुमोदित पैनलों पर जारी रखा जाएगा और उन्हें केवल आवश्यकता के आधार पर छुट्टी रिक्ति पर तैनात किया जाएगा और भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थायी रिक्तियों में अवशोषित/तैनात किया जाएगा।

3. उपरोक्त योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बडली सिपाहियों का अवशोषण/नियमितीकरण दो शर्तों के अधीन होगाः (1) 12 महीने या एक कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक वर्ष में 240 दिन पूरे करनाः (2) भविष्य में उत्पन्न रिक्तियों की उपलब्धता।

4. उत्तरदाता जो बडली कार्यकर्ता हैं, उन्हें अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था। उत्तरदाताओं का अनुबंध पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि उनका रोजगार अपीलार्थी-बैंक की मौसमी आवश्यकता का था और यह केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए था जिसकी समाप्ति पर उनकी सेवाएं समाप्त समझी जावेगी। प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैंः

"2(i) क्षेत्र/क्षेत्रों में मौजूदा स्पष्ट, खाली रिक्तियों को बडली सिपाहियों, अधिमानतः केंद्रवार स्वीकृत बडली सिपाहियों के पैनल

जिन्होंने 1 फरवरी, 1988 को 12 महीने के एक ब्लॉक या एक कैलेंडर वर्ष में 240 से अधिक कार्य दिवस का काम पूरा कर लिया है से अवशोषित करके तुरंत भरने के लिए। ऐसी रिक्तियों के संबंध में यदि बडली सिपाहियों की आवश्यक संख्या, जिन्होंने 1 फरवरी, 1988 को 12 महीनों के एक ब्लॉक या एक कैलेंडर वर्ष में 240 से अधिक बडली दिनों का काम पूरा कर लिया है अनुमोदित पैनल/पैनलों पर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रिक्तियों को एक बोर्ड द्वारा बडली सिपाहियों के संबंधित स्वीकृत केंद्र-वार पैनल से भरा जाना चाहिए, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 12 महीनों के ब्लॉक में 240 बडली कार्य दिवस पूरे नहीं किए हैं। अविलंब केंद्रवार खाली रिक्तियों का विवरण देते हुए अपना विशिष्ट दोहराव विशिष्ट अनुमोदन भेजकर समय पर मुख्य कार्यालय की मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह अवशोषण की प्रक्रिया आपको 30 जून 1988 से पहले पूरी करनी होगी।

XX XX XX XX

(iii) स्वीकृत पैनल में बडली सिपाहियों में से जिन्होंने 12 महीनों के एक ब्लॉक या एक कैलेंडर वर्ष में 1 फरवरी, 1988 को 240 बडली दिवसों की सेवा पूरी नहीं की है,को पैनल/पैनलों पर निरंतर

रखा जावे और केवल छुट्टी रिक्तियों, जो समय-समय पर उन शाखाओं में उत्पन्न हो सकती हैं, जहां पैनल पर कोई बडली सिपाही उपलब्ध नहीं है जिसने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, में आवश्यकता के आधार पर लगाये रखा जावे। बैंक की स्थायी सेवाओं में अवशोषण के लिए उनके मामले पर, स्थायी रिक्तियां जो बाद के वर्षों में उत्पन्न हो सकती हैं, में विचार किया जा सकता है।"

5. उत्तरदाताओं द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें बैंक को यह निर्देशित करने के लिए परमादेश जारी करने के लिए प्रार्थना की गयी थी कि बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में उत्तरदाताओं की सेवा को नियमित किया जाये। यह कहा गया था कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए रोजगार विनिमय द्वारा उनके नाम प्रायोजित किए गए थे। रिट याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल करते हुए पैनल तैयार किया गया था जिसमें से 43 को बैंक की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 14 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी। 2 मार्च, 1986 से 30 जून, 1986 के बीच अलग-अलग तिथियों पर रिट याचिकाकर्ताओं को अन्य उम्मीदवारों के साथ अस्थायी रूप से अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में

नियुक्त किया गया है। 5 दिसंबर, 1991 को बैंक ने रिट याचिकाकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में गैर-सी. सी. ए. क्षेत्रों में अधीनस्थ कर्मचारियों के पद के लिए विकल्प का उपयोग करने के लिए कहा और रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसे पदों के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया। लेकिन कोई नियुक्ति नहीं दी गई। रिट याचिका में यह आधार लिया गया कि हालांकि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर 12 महीने के एक ब्लॉक में 240 दिनों से अधिक समय तक सेवा की थी, लेकिन उन्हें मौजूदा रिक्तियों में स्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया है। यह भी अनुरोध किया गया कि वे उन कर्तव्यों का पालन कर रहे थे जो बैंक के नियमित अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे थे और ये सभी बैंक के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय से संबंधित स्थायी, नियमित और निरंतर प्रकृति के कार्य हैं। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने वर्ष 1994 में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कलकत्ता के कार्यालय में 12 कैलेंडर महीनों के एक ब्लॉक में 240 दिनों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों और कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक औद्योगिक विवाद उठाया था। उक्त विवाद अंततः 23 सितंबर, 1997 को निपटारे के माध्यम से समाप्त हो गया, जिसके तहत बैंक पैनल में शामिल उन उप-कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने पर सहमत हो गया जिन्होंने 12 महीने के किसी भी ब्लॉक में 240 दिन पूरे कर लिये लेकिन अंततः 1997 में तीन व्यक्तियों को नियमित कर दिया गया लेकिन

शेष को नियमित नहीं किया गया और उन्होंने दैनिक दर के आधार पर काम करना जारी रखा।

बैंक का आधार यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं का उपयोग बडली श्रमिकों के रूप में किया जा रहा है और उन्हें एक ब्लॉक वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं करने के कारण अवशोषित नहीं किया जा सकता है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक ने पहले ही इस न्यायालय के हरियाणा राज्य और अन्य बनाम प्यारा सिंह और अन्य एआईआर (1992) एससी 2130 में निर्णय के संदर्भ में कर्मचारियों के अवशोषण के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार कर लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकांश रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्ष में या 12 कैलेंडर महीनों के एक ब्लॉक में 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है। यह भी नोट किया कि रिक्तियां 6.1.1999 को मौजूद थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक द्वारा कहे जाने पर रिट याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में गैर-सी. सी. ए. में अनुबंध के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया भी लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 240 दिनों के मानक में छूट का निर्देश दिया यदि कमी मामूली थी। निम्नलिखित निर्देश दिए गयेः

"एक वर्ष या 12 केलेण्डर महिनों के एक ब्लॉक में 240 दिनों के लिए काम करने का प्रश्न शिथिल किया जा सकता है यदि कमी मामूली हो। यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने अनुबंध की संपूर्ण अवधि में किसी वर्ष में या 12 कलेण्डर माह के ब्लॉक में 210 दिन काम किया था तो इस तरह के अवशोषण/तैनाती के लिए उस पर विचार किया जा सकता है। उसके मामले पर मानदंडों की पूर्ति के अनुसार एक सूची तैयार करके विचार किया जाएगा अर्थात कि वे व्यक्ति जिन्होंने 1986 से किसी भी वर्ष या 12 केलेण्डर महिनों के एक ब्लॉक में 240 दिन पूरे कर लिए थे, शीर्ष पर रखा जावेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों को क्रमिक रूप से रखा जा सकता है और जिन व्यक्तियों ने वर्ष 1986 से किसी भी वर्ष में कम से कम 210 दिन का काम किया था को भी इसी तरह रखा जाएगा और जिन लोगों ने वर्ष 1986 से आज तक किसी विशेष वर्ष में 240 दिनों का काम पूरा किया है को उपर वर्णित समय में उक्तानुसार तैयार की गयी सूची में वरीयता दी जायेगी।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

बैंक ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी, सबसे पहले,इस आधार पर कि अदालत ने आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण या अवशोषण के लिए योजना को बदल दिया, यहां तक कि बैंक को उन लोगों पर विचार करने का निर्देश दिया जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन कम से कम 210 दिन का काम पूरा कर लिया है, और उन पर अवशोषण और नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि रिक्तियां हो सकती हैं, ऐसी रिक्तियों को बैंक को अधिक कुशल बनाने के साथ-साथ संचालन लागत को नियंत्रित करने और श्रमशक्ति को तर्कसंगत बनाकर कर्मचारियों के लिए कैरियर विकास और कौशल उन्नयन की संभावनाओं में सुधार करने और बैंक को विकास के सही आकार में मदद करने के उद्देश्य से नहीं भरा जा सकता है। यह बताया गया कि निदेशक मंडल ने 28 अक्टूबर, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को "बैंक ऑफ इंडिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2000" के तहत मंजूरी दी थी। वास्तव में, उक्त योजना के लागू होने के बाद भी 900 उप-कर्मचारी सदस्य शक्ति से अधिक हैं। आगे यह कहा गया कि किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने एक वर्ष में 240 दिनों का काम पूरा नहीं किया था और इसलिए उन्हें योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, एक हलफनामा

दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं किए थे। रिट याचिकाकर्ताओं का जवाब था कि उनमें से प्रत्येक ने 240 दिनों का काम पूरा किया है। यह कहा गया था कि गणना करते समय बैंक ने गणना के उद्देश्य से रविवार और छुट्टियों को अपवर्जित किया था।

7. खण्ड पीठ ने अवधारित किया कि रविवार और सार्वजनिक अवकाश को अपवर्जित करने का कोई आधार नहीं था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्देश देना उचित नहीं था कि जिन लोगों ने 210 दिनों तक काम किया था, उन्हें अवशोषित/तैनात करने के लिए विचार किया जा सकता है। इसने इस आधार को स्वीकार नहीं किया कि दिनों की संख्या को लेकर तथ्यात्मक विवाद था। अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन के कामगार बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग का प्रबंधन ए. आई. आर. (1986) एस. सी. 458 मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अवधारित किया कि रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों की भी गणना की जानी है। उच्च न्यायालय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2000 के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि

प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता ने 12 कैलेंडर महीनों के ब्लॉक में 240 दिन पूरे कर लिए है।

8. अपीलार्थी-बैंक के लिए विद्वान वकील ने निवेदन किया कि प्रत्येक मामले के अनुबंध पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि रोजगार मौसमी आवश्यकता के लिए था और यह केवल एक निर्दिष्ट अवधि के लिए था जिसकी समाप्ति पर उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। सहायक श्रम आयुक्त (दिनांक 16.2.2000) के समक्ष किए गए अभ्यावेदन में उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया था कि अपीलार्थी ने श्रमिकों को 12 कैलेंडर महीनों के एक ब्लॉक में 240 दिनों तक काम करने की अनुमति नहीं दी थी और इस प्रकार उन्होंने 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी।

9. रिट याचिका में भी पैरा 13 और 39 में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि उन्होंने आवश्यक 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की है। इसके आलोक में, नियमितीकरण के लिए प्रार्थना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य थी। इस तथ्य पर पूर्वाग्रह के बिना कि उन्होंने 240 दिन पूरे नहीं किए थे, बैंक ने एक आदर्श नियोक्ता के रूप में रिट याचिकाकर्ताओं से कुछ भविष्य की रिक्तियों के लिए, जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता महानगर क्षेत्र के बाहर गैर-सी. सी. ए. क्षेत्रों में उत्पन्न होने की संभावना थी, अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा था। उत्तरदाता उक्त क्षेत्रों

के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहे और कभी भी किसी भी गैर सीसीए बैंक में शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उक्त विकल्प का प्रयोग बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं था और विकल्प पत्र का अर्थ नियुक्ति के लिए कोई प्रतिबद्धता या आश्वासन नहीं था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2000 के लागू होने के बाद भी बैंक के पास अधिशेष कर्मचारी हैं, जो आवश्यक रूप से बैंक की अतिरिक्त शक्ति को कम करने के लिए थी। वी. आर. एस. विकल्पों की स्वीकृति के बाद बैंक के कोलकाता क्षेत्र सहित 900 अधीनस्थ कर्मचारी अधिक थे। बैंक में उप-कर्मचारियों की कोई स्थायी रिक्ति नहीं थी। यह बताया गया कि अमेरिकन एक्सप्रेस के मामले (ऊपर) में स्थिति तथ्यात्मक रूप से अलग थी। यह कई छोटे अवकाशों के साथ अस्थायी क्षमताओं में टाइपिस्टों के रोजगार से संबंधित है, जब तक कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं। यह विवाद था कि क्या रविवार और अन्य छुट्टियों, जिनके लिए संविदा विधि और संविधि के तहत मजदूरी का भुगतान किया गया था, को उन दिनों के रूप में माना जा सकता है जिन पर कर्मचारी ने धारा 25 - एफ सपठित धारा 25-बी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') के उद्देश्य के लिए "वास्तव में नियोक्ता के अधीन काम किया था"। यह निवेदन किया कि वर्तमान मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि उन्होंने स्थायी रिक्तियों के खिलाफ उनकी तैनाती/अवशोषण के लिए योजना द्वारा

आवश्यक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन स्वीकृत रूप से पूरे नहीं किए हैं। यह बताया गया कि बडली कार्यकर्ता को कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है यदि वह केवल 6 दिनों के लिए काम करता है। यह केवल तभी होता है जब बडली सिपाही की नियुक्ति लगातार 6 दिनों से अधिक होती है तो 6 दिनों के काम के बाद साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। यह भी निवेदन किया गया कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य, [2006] 4 एस. सी. सी. 1 में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण का सवाल नहीं उठता क्योंकि कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार नहीं था।

10. जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने यह तथ्यात्मक निष्कर्ष दिया था कि रिट याचिकाकर्ताओं ने 240 दिनों का काम पूरा कर लिया है। यह भी निवेदन किया गया था कि अमेरिकन एक्सप्रेस के मामले (ऊपर) में जो कहा गया है, उसे देखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि रिट याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक ने 240 दिन पूरे कर लिए थे।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह स्थापित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी पर है कि उसने 240 से अधिक दिनों का काम पूरा किया है। उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्यात्मक स्थिति को स्थापित किये

बिना कि उनमें से प्रत्येक ने 240 दिनों से अधिक काम कर लिया है, यह अवधारित करने में उच्च न्यायालय सही नहीं था। रिक्तियों को नहीं भरने के निर्णय को भी विचार में नहीं लिया गया। नीति में परिवर्तन के प्रभाव को इस न्यायालय ने राम प्रकाश मक्कर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1992] 4 एससीसी 727 में विचार में लिया है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने उसके प्रभाव को भी विचार में नहीं लिया। उपर उल्लेखित अनुसार, रिट याचिकाकर्तागण ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 240 दिन का काम पूरा नहीं किया है। उनका आधार यह था कि प्रबंधन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। योजना, जिसको दोनों अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों ने उल्लेखित किया है, पैरा 2 (1) में बडली सेवा में 240 दिनों के काम के लिए बोलती हैं। इसी तरह की स्थिति उपर उद्धृत पैरा 2 में है। बडली दिवसों की योजना अलग होती है। यह वास्तविक कार्य दिवसों को दर्शाती है। अमेरिकन एक्सप्रेस का मामला (उपरोक्त) प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि काम की प्रकृति अलग है। इसके अतिरिक्त, विवाद इस बारे में है कि क्या उत्तरदाताओं ने 240 बडली दिन पूरे कर लिए थे।

12. अस्थायी कर्मचारी और बडली कर्मचारी के बीच अंतर है। वर्तमान मामला निपटान और योजना के तहत पात्रता से संबंधित है। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से

असंवहनीय है और इसे अपास्त किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी उत्तरदाता एक वर्ष या 12 महीने के ब्लाॅक में 240 दिनों का बडली काम पूरा करते हैं, तो उनके मामलों पर योजना के जारी रहने और नीति में कोई बदलाव के अध्यधीन योजना के आलोक में विचार किया जाएगा।

13. खर्चो के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीले अनुज्ञात की जाती है।

एन. जे.

अपीले अनुमत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहन लाल जाट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।